विषय सूची

Contents

प्रमुख अधिकारी
Principal Officers 2

वार्षिक महासभा की सूचना
Notice of Annual General Meeting 3

वित्तीय विशेषताएं
Financial Highlights 8

निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन विवेचना एवं विश्लेषण
Directors' Report, Management Discussion & Analysis

- बृहत् आर्थिक परिदृश्य
  Macro-Economic Environment 12
- परिचालनगत कार्य-निष्पादन
  Operational Performance 17
- वित्तीय कार्य-निष्पादन
  Financial Performance 28
- जोखिम प्रबंध
  Risk Management 30
- प्रबंध व नियंत्रण व्यवस्थाएं
  Management and Control Systems 33
- कॉरपोरेट अभिशासन
  Corporate Governance 36
- सहायक संस्थाओं का कार्य-निष्पादन
  Performance of Subsidiary Organisations 49
- संवर्द्धन एवं समन्वय गतिविधियां
  Promotional and Co-ordinating Activities 54
- भावी संभावनाएं
  Future Prospects 57
- आभार
  Acknowledgements 57

वार्षिक लेखे
Annual Accounts

- आईडीबीआई के वार्षिक लेखे
  Annual Accounts of IDBI 59
- समेकित लेखे
  Consolidated Accounts 90

www.reportjunction.com

प्रमुख अधिकारी

(यथा 7 मई 2003)

कार्यपालक निदेशक

श्री जे.एन. गोडबोले
श्री एस.जी. गुलाटी
श्री ओ.वी. बुंदेलू
श्री ए.के. डोडा
श्री एस. गजेंद्रन
श्री आर. जयरामन अय्यर
श्री के. शिवप्रकाशम

सलाहकार

श्री जी.एम. राममूर्ति (विधि)

मुख्य महा प्रबंधक

श्री जे.के. रे
श्री आर. के. कपूर
श्री जी. वेंकटरामन
श्री एस.डब्ल्यू. पटवर्धन
डॉ. टी.के. मुखोपाध्याय
श्री ए.वी. राममूर्ति
श्री एस.एन. बाहेती
श्री जितेंद्र बालकृष्णन
श्री बी.पी. मंडल
श्री प्रदीप रॉय
श्री बी.पी. सिंह
श्री बी. रवींद्रनाथ
श्री डी.के. कांबले
श्री जी. सौंदराराजन (विधि)
श्री ई.एस. कुमार
श्री वी.के. सक्सेना
श्री सी.पी. फिलिप
श्री आर. सत्यमूर्ति
श्री टी.बी. अनंतनारायणन
श्री एच.एस.जी. शेट्टी

Report Junction.com

Principal Officers

(As on May 7, 2003)

Executive Directors

Shri J.N. Godbole
Shri S.G. Gulati
Shri O.V. Bundellu
Shri A.K. Doda
Shri S. Gajendran
Shri R. Jayaraman Iyer
Shri K. Sivaprakasam

Adviser

Shri G.M. Ramamurthy (Legal)

Chief General Managers

Shri J.K. Ray
Shri R.K. Kapoor
Shri G. Venkatraman
Shri S.W. Patwardhan
Dr. T.K. Mukhopadhyay
Shri A.V. Rammurty
Shri S.N. Baheti
Shri Jitender Balakrishnan
Shri B.P. Mandal
Shri Pradip Roy
Shri B.P. Singh
Shri B. Ravindranath
Shri D.K. Kambale
Shri G. Soundararajan (Legal)
Shri E.S. Kumar
Shri V.K. Saxena
Shri C.P. Philip
Shri R. Sathyamurthi
Shri T.B. Ananthanarayanan
Shri H.S.G. Shetty

www.reportjunction.com

वार्षिक महासभा की सूचना

Notice of Annual General Meeting

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के शेयरधारकों की नौवीं वार्षिक महासभा 22 अगस्त 2003 को अपराह्न 3.30 बजे नेहरू सेंटर, वरली, मुंबई-400 018 में आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई होगी :

1. आईडीबीआई के 31 मार्च 2003 के तुलन-पत्र तथा 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा पर विचार करना तथा स्वीकार करना;
2. आईडीबीआई के 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के कार्यकलापों से संबंधित रिपोर्ट पर विचार करना तथा स्वीकार करना;
3. आईडीबीआई के 31 मार्च 2003 के तुलन-पत्र तथा 31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लेखों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार करना तथा स्वीकार करना;
4. वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए लाभांश की घोषणा के प्रस्ताव पर विचार करना तथा स्वीकार करना;
5. डॉ. किरीट एस. पारिख के कार्यकाल की समाप्ति और डॉ. जे.जे. ईरानी के इस्तीफे के कारण हुई रिक्तियों को भरने के लिए दो निदेशकों को निर्वाचित करना;
6. लेखा परीक्षक नियुक्त करने पर विचार करना और यदि ठीक समझा जाए तो बिना संशोधन अथवा संशोधन के साथ निम्नलिखित संकल्प पारित करना :

   ''**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 23(1) के अनुसरण में मै॰ सौराब एस. इंजीनियर ऐन्ड कं. तथा मै॰ सूरी ऐन्ड कं., सनदी लेखा परीक्षकों को, जिनके नाम भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमोदित सूची में हैं, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट पारिश्रमिक और अन्य शर्तों व निबंधनों पर आईडीबीआई हेतु वित्तीय वर्ष 2003-04 के लिए संयुक्त सनदी लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है.''
7. दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना और यदि ठीक समझा जाए तो बिना संशोधन अथवा संशोधन के साथ निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना :

   ''**संकल्प किया जाता है कि** भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता) दिशानिर्देश 2003 के प्रावधानों के अधीन और सभी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमावलियों और दिशा निर्देशों और ऐसे अनुमोदनों तथा स्वीकृतियों के अधीन जहां आवश्यक हो, एतद्द्वारा दिल्ली, मद्रास और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंजों से इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करने हेतु शेयरधारकों की सहमति तथा निदेशक मंडल को अनुमति प्रदान की जाती है.''

प्रधान कार्यालय :
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.
दिनांक : 10 जुलाई 2003
स्थान : मुंबई

(पी.पी. वोरा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the ninth Annual General Meeting of the shareholders of the Industrial Development Bank of India (IDBI) will be held at Nehru Centre, Worli, Mumbai - 400 018 on August 22, 2003 at 3.30 p.m. to transact the following business, namely :

1. To discuss and adopt the Balance Sheet of IDBI as at 31st March, 2003 and the Profit and Loss Account for the year ended on that date;
2. To discuss and adopt the report on the working of IDBI for the year ended 31st March, 2003;
3. To discuss and adopt the Auditors' Report on the Balance Sheet as at 31st March, 2003 and accounts of IDBI for the year ended 31st March, 2003;
4. To discuss and adopt the proposal for declaration of dividend for the financial year 2002-2003;
5. To elect two directors to fill up vacancies caused by the expiry of term of Dr. Kirit S. Parikh and resignation of Dr. J. J. Irani;
6. To appoint auditors and in that behalf to consider and, if thought fit, to pass the following resolution with or without modification :

   "**RESOLVED THAT** pursuant to the provisions of Section 23(1) of the Industrial Development Bank of India Act, 1964, M/s. Sorab S. Engineer & Co. and M/s. Suri & Co., Chartered Accountants, whose names appear on the panel approved by the Reserve Bank of India (RBI), be and are hereby appointed as the joint auditors of IDBI for the year 2003-04 on such remuneration and other terms and conditions as may be specified by RBI."
7. To delist equity shares from Delhi, Madras and Calcutta Stock Exchanges and in that behalf to consider and, if thought fit, pass the following resolution as special resolution with or without modification :

   "**RESOLVED THAT** subject to the provisions of Securities and Exchange Board of India (Delisting of securities) Guidelines 2003 and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines and subject to such approval and sanctions, as may be necessary, the consent of the shareholders be and is hereby accorded to the Board of Directors to delist the equity shares of IDBI from Delhi, Madras and Calcutta Stock Exchanges."

Head Office :
Industrial Development Bank of India,
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

Dated : July 10, 2003
Place : Mumbai

(P. P. Vora)
Chairman & Managing Director

www.reportjunction.com

टिप्पणियाँ :

1. महासभा में भाग लेने और मत देने का हकदार शेयरधारक अपने स्थान पर आईडीबीआई के अधिकारी अथवा कर्मचारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह शेयरधारक हो अथवा नहीं) सभा में भाग लेने एवं मत देने के लिए अपना प्रॉक्सी नियुक्त कर सकता है, लेकिन इस प्रकार से नियुक्त किये गये प्रॉक्सी को सभा में बोलने का अधिकार नहीं होगा. प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को केवल मतदान की स्थिति में मत देने का अधिकार होगा. प्रॉक्सी फॉर्म शेयरधारकों को भेजे जा रहे नोटिस के साथ संलग्न है. प्रॉक्सी- लिखत तब वैध माना जाएगा जब :

   (क) यह शेयरधारक द्वारा या लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा संयुक्त धारकों के संबंध में रजिस्टर में जिस शेयरधारक का नाम पहले हो उसके द्वारा अथवा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो अथवा निगमित निकाय के संबंध में यह उसकी कॉमन सील यदि कोई हो, के अन्तर्गत निष्पादित हो या लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत उसके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो; बशर्ते प्रॉक्सी लिखत शेयरधारक द्वारा पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित हो, जो किसी कारणवश यदि अपना नाम लिखने में असमर्थ हो तो शेयरधारक के अंगूठे की छाप वहां लगायी गयी हो और वह किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या वाणिज्यिक बैंक अथवा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो.

   (ख) यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रधान कार्यालय में बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम चार पूर्ण दिवस पहले विधिवत् रूप से स्टाम्प लगाकर जमा किया जाए और उसके साथ पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित है अथवा उस अधिकार या प्राधिकार की नोटरी पब्लिक अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित प्रति जमा की जाए, बशर्ते ऐसा पॉवर ऑफ अटर्नी या अन्य प्राधिकार आईडीबीआई में पहले जमा और पंजीकृत न किया गया हो.

2. शेयरधारकों / प्रॉक्सियों / प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे कृपया बैठक में वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखों की अपनी प्रतियां तथा विधिवत् भरा हुआ पहचान फार्म साथ लायें.

3. <u>नोटिस की मद संख्या 4</u>

   भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मंडल ने 7 मई 2003 को हुई अपनी बैठक में इक्विटी पूंजी पर वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए 15% (प्रति इक्विटी शेयर 1.50 रुपये) के लाभांश की सिफारिश की

Notes :

1. **A shareholder entitled to attend and vote at a general meeting is entitled to appoint another person, other than an officer or employee of IDBI, (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting. A person appointed, as proxy shall be entitled to vote only upon a poll. A form of proxy is enclosed to the notice mailed to the shareholders. No instrument of proxy shall be valid unless :**

   (a) it is signed by the shareholder or by his attorney duly authorised in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register of shareholders or his attorney duly authorised in writing or in the case of body corporate, it is executed under its common seal, if any, or signed by its attorney duly authorised in writing; provided that an instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who for any reason is unable to write his name, if his thumb impression is affixed thereto, and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officers or any Officer of a Nationalised Bank or Industrial Development Bank of India.

   (b) it is duly stamped and deposited at the Head Office of Industrial Development Bank of India not less than four clear days before the date fixed for the meeting, together with the power of attorney or other authority (if any), under which it is signed or a copy of that power or authority certified by a Notary Public or a Magistrate unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with IDBI.

2. Shareholders / Proxies / Authorised Representatives are requested to bring the identification forms duly filled in along with their copies of Annual Report and Accounts, to the meeting.

3. <u>**Item No.4 of Notice**</u>

   The Board of Directors of Industrial Development Bank of India at its meeting held on May 7, 2003 has recommended a dividend for the financial year 2002-2003 at 15% (Rupees 1.50 per equity share) on the equity capital. Upon adoption of the proposal for declaration of dividend, the shareholders whose names

www.reportjunction.com

है. लाभांश की घोषणा संबंधी प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने पर वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए उन शेयरधारकों को लाभांश अदा किया जाएगा जिनके नाम 22 अगस्त 2003 को शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज हैं.

4. **नोटिस की मद सं. 5**

(i) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक साधारण विनियम, 1994 के विनियम 62(1) के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 6(1) (ई) के अंतर्गत निर्वाचित किये जाने वाले निदेशक महासभा में शेयरधारकों द्वारा (भारत सरकार के अलावा) निर्वाचित किये जायेंगे. डॉ. किरीट एस. पारिख का कार्यकाल 30 मई 2003 को समाप्त हो गया है किंतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम की धारा 6(4ए)(बी) के अनुसार वे अपने उत्तराधिकारी द्वारा कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहेंगे और पुन: निर्वाचन के लिए पात्र होंगे. निदेशक मंडल में से एक निर्वाचित निदेशक डॉ. जे.जे. ईरानी ने 20 जून 2003 से इस्तीफा दे दिया है और बोर्ड ने उसे मंजूर कर लिया है. तद्नुसार, डॉ. किरीट एस. पारिख के कार्यकाल की समाप्ति और डॉ. जे.जे. ईरानी के इस्तीफे के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों के लिये चुनाव किया जाएगा.

(ii) केन्द्र सरकार से भिन्न ऐसे शेयरधारक, जिनके नाम वार्षिक महासभा की तारीख से 90 दिन पूर्व (अर्थात् 24 मई 2003 को) आईडीबीआई के शेयरधारकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, अधिनियम की धारा 6 (1) (ई) के अनुसरण में ऐसे निदेशक निर्वाचित करने के हकदार हैं.

(iii) निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए कोई उम्मीदवार विधिमान्य रूप से तभी नामांकित किया जाएगा जब -

(क) वह नामांकन प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख को अधिनियम की धारा 6 बी की उप-धारा (1) के अधीन निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है;

(ख) नामांकन लिखित रूप में है और अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ई) के अधीन निदेशक निर्वाचित करने के लिए हकदार कम से कम दो शेयरधारकों द्वारा या विधिवत रूप से नियुक्त उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित है, बशर्ते कि उस शेयरधारक द्वारा, जो निगमित निकाय है, नामांकन उक्त निगमित निकाय के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया गया हो और जहां ऐसा किया गया है वहां संकल्प की एक प्रति जो उस बैठक के, जिसमें वह पारित किया गया था, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि के रूप में आईडीबीआई के प्रधान कार्यालय को भेजी गयी हो और यह प्रति ऐसे निगमित निकाय की ओर से नामांकन समझी जाएगी;

(ग) नामांकन के साथ या उसमें किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज या अन्य राजपत्रित अधिकारी या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या आईडीबीआई के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित यह घोषणा प्रस्तुत की जाए कि वह नामांकन को स्वीकार करता है और

are entered on the Register of Shareholders as on August 22, 2003 will be paid dividend for the financial year 2002-2003.

4. **Item No.5 of Notice**

(i) As per Regulation 62(1) of IDBI General Regulation, 1994, directors to be elected under Section 6(1)(e) of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 shall be elected by the shareholders (other than the Government of India) at the General Meeting. The term of office of Dr. Kirit S. Parikh ended on May 30, 2003; but in terms of Section 6(4A)(b) of the IDBI Act, he shall hold office until his successor assumes office and shall be eligible for re-election. Dr. J.J. Irani, an elected director, has resigned from the Board of Directors with effect from June 20, 2003 and his resignation was accepted by the Board. Accordingly, election will be held for the vacancies caused due to expiry of term of Dr. Kirit S. Parikh and resignation of Dr. J.J. Irani.

(ii) The shareholders, other than the Central Government, whose names are entered on the register of shareholders of IDBI 90 days before the date of AGM (i.e. May 24, 2003) are entitled to elect such director pursuant to Section 6(1)(e) of the Act.

(iii) No candidate for election as a director shall be validly nominated unless :

(a) he is, on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a director under sub-section (1) of Section 6B of the Act;

(b) the nomination is in writing; signed by at least two shareholders entitled to elect directors under clause (e) of sub-section (1) of Section 6 of the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a body corporate may be made by a resolution of the directors of the said body corporate and where it is so made, a copy of resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of IDBI and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such body corporate;

(c) the nomination shall accompany or contain a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar of Assurances or

www.reportjunction.com

निर्वाचन के लिए खड़ा होने के लिए सहमत है और कि वह अधिनियम की धारा 6 बी के अधीन निर्वाचन के लिए अयोग्य नहीं है;

(घ) नामांकन सभी पहलुओं से पूर्ण है और आईडीबीआई के प्रधान कार्यालय में बैठक की तारीख से कम से कम 14 कार्यदिवस पूर्व अर्थात् 7 अगस्त 2003 को या उससे पहले प्राप्त हुआ है.

निदेशक के निर्वाचन हेतु आवेदन फार्म आईडीबीआई वेबसाइट www.idbi.com से डाउनलोड किये जा सकते हैं अथवा आईडीबीआई के प्रधान कार्यालय के देशी संसाधन विभाग (ग्राहक संपर्क प्रबंध कक्ष) और सभी अंचल / शाखा कार्यालयों में उपलब्ध हैं. लिफाफे पर ''निदेशक के निर्वाचन हेतु नामांकन फार्म '' अंकित किया जाए और निम्न पते पर भेजा जाए :

महा प्रबंधक,
देशी संसाधन विभाग
ग्राहक संपर्क प्रबंध कक्ष (सीआरएमसी),
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,
आईडीबीआई टॉवर,सातवीं मंज़िल, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई - 400 005.

(iv) अधिनियम की धारा 6 बी के अंतर्गत वह व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा :-

(क) जो सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से असंतुलित पाया गया हो और जिसके बारे में निष्कर्ष अभी प्रवर्त हो;

(ख) जो अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(ग) जिसने न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किये जाने के लिए आवेदन किया हो और उसका आवेदन अभी लंबित हो;

(घ) जिसे नैतिक अधमता संबंधी किसी अपराध में न्यायालय ने अपराधी घोषित किया हो और इसके लिए न्यूनतम छह महीने के कारावास की सजा दी हो तथा इस सजा को समाप्त हुए पांच वर्ष की अवधि पूरी न हुई हो; अथवा

(ङ) जिसने अकेले अथवा अन्य के साथ संयुक्त रूप से धारित आईडीबीआई के शेयरों की कॉल राशि अदा न की हो और कॉल राशि के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को बीते छह महीने हो गये हों.

5. **नोटिस की मद संख्या 7**

आईडीबीआई ने अपना पहला इक्विटी इश्यू सितंबर 1995 में जारी किया और इसे बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास व कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर सूचीबद्ध किये. इन शेयरों को दिल्ली, मद्रास व कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज

other Gazetted Officer or an Officer of a Nationalised Bank or IDBI, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified for election under Section 6B of the Act;

(d) the nomination is complete in all respects and is received, in the Head Office of IDBI, on a working day not less than fourteen clear days before the date of the meeting i.e. on or before August 7, 2003.

The nomination forms for the election of directors can be downloaded from IDBI website www.idbi.com or can be obtained from the Domestic Resources Department (Customer Relations Management Cell) at Head Office and in all Zonal / Branch Offices of IDBI. The cover containing the nomination form should be superscribed "Nomination form for election of director" and addressed to :

The General Manager,
Domestic Resources Department
Customer Relations Management Cell (CRMC),
Industrial Development Bank of India,
IDBI Tower, 7th Floor, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

(iv) Under Section 6B of the Act, a person shall not be eligible for being elected as director, if he

(a) has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;

(b) is an undischarged insolvent;

(c) has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending;

(d) has been convicted by a court of any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months and period of five years has not elapsed from the date of expiry of the sentence; or

(e) has not paid any call in respect of shares of IDBI held by him whether alone or jointly with others, and six months have elapsed from the last date fixed for payment of the call.

5. **Item No.7 of Notice**

IDBI made its maiden equity issue in September 1995 and listed its equity shares at Bombay, Delhi, Madras and Calcutta Stock Exchanges. The listing of the shares

www.reportjunction.com

में सूचीबद्ध करने का उद्देश्य इन एक्सचेंजों में शेयरों की ट्रेडिंग को सुविधाजनक बनाना था. 1996 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएमई) की स्थापना के बाद यह शेयर एनएसई में सूचीबद्ध कर दिये गये.

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की असूचीबद्धता) दिशा निर्देश 2003 में प्रतिभूतियों को स्वेच्छा से सूची से हटाने की अनुमति दी गयी है. एनएसई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के कई शहरों में ट्रेडिंग टर्मिनल हैं जो निवेशकों को देश भर में इक्विटी शेयरों तक पहुंच और उनकी खरीद व कारोबार की सुविधा प्रदान करते हैं.

एनएसई, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है जिससे देश के किसी भी भाग में रहने वाले निवेशकों को मान्यताप्राप्त ब्रोकरों के माध्यम से शेयरों का सौदा करने में सहायता मिलती है. ऐसे ही सुविधा बीएसई में भी प्राप्त है. आईडीबीआई के शेयरों में सौदा करने के इच्छुक निवेशक, भले ही वे किसी भी स्थान पर रहते हों, सौदा कर सकते हैं. अत: यह कि दिल्ली, मद्रास तथा कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से आईडीबीआई के शेयरों की सूचीबद्धता समाप्त करने का प्रस्ताव है, तथापि आईडीबीआई के शेयर एनएसई तथा बीएसई में सूचीबद्ध रहेंगे क्योंकि इनके राष्ट्रव्यापी ट्रेडिंग टर्मिनल हैं.

इन एक्सचेंजों से सूचीबद्धता के समापन की वजह से शेयरधारकों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे अपने ब्रोकरों के माध्यम से एनएसई तथा बीएसई के टर्मिनलों में मुक्त ट्रेडिंग कर सकेंगे. यह शेयरों की अंतरणीयता सुनिश्चित करती है और निवेशकों को किसी भी समय नकदी उपलब्ध कराती है.

6. वार्षिक महासभा की कार्रवाई शुरू होने के समय कम से कम पांच शेयरधारकों का कोरम होगा जिसमें केन्द्र सरकार का विधिवत् प्राधिकृत एक प्रतिनिधि तथा वार्षिक महासभा में मत देने के हकदार चार अन्य शेयरधारक स्वयं अथवा उनके प्रॉक्सी या विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि शामिल होंगे.

7. शेयरधारकों का रजिस्टर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक महासभा की तारीख तक सभी कार्य दिवसों में सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच देखा जा सकता है.

8. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयरों से संबंधित किसी भी मामले के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्रधान कार्यालय में देशी संसाधन विभाग (ग्राहक संपर्क प्रबंध कक्ष), सातवीं मंज़िल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 (टेलीफोन नं.2216 4385, फैक्स नं. 2218 0930) से संपर्क करें.

9. शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि सभा में कोई उपहार वितरित नहीं होगा.

at Delhi, Madras and Calcutta Stock Exchanges was to facilitate trading of the shares at those Stock Exchanges. After National Stock Exchange (NSE) was set up in 1996, shares were listed at NSE.

Securities and Exchange Board of India (Delisting of securities) Guidelines 2003 permit voluntary delisting of securities. NSE and Bombay Stock Exchange (BSE) have trading terminals in various cities affording access to the investors to trade and deal in the equity shares across the country.

NSE, being an electronic Stock Exchange, allows investors residing in any part of the country to deal in shares through a recognised broker. Similar facility is now available at BSE. An investor desiring to trade in shares of IDBI can do so, irrespective of the place at which he is located. It is, therefore, proposed to delist IDBI shares from Delhi, Madras and Calcutta Stock Exchanges, while the shares will continue to be listed in NSE and BSE, being Stock Exchanges having nation-wide trading terminals.

The delisting of shares from these exchanges will not be infringing upon the rights of its shareholders when it comes to doing free trading at NSE and BSE terminals through their brokers. This ensures transferability of shares and provides liquidity to shareholders at any point of time.

6. The quorum for the Annual General Meeting is at least five shareholders consisting of a duly authorised representative of the Central Government and four other shareholders entitled to vote at the Annual General Meeting in person or by proxy or by duly authorised representatives present at the commencement of business.

7. Register of shareholders is open for inspection at the Head Office of IDBI during office hours on all working days between 11.00 a.m. and 1.00 p.m. till the date of the Annual General Meeting.

8. Shareholders are requested to contact Domestic Resources Department (Customer Relations Management Cell), 7th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 (Tel.No.2216 4385, Fax No.2218 0930) at the Head Office of IDBI, with regard to any share-related matter.

9. Shareholders may please note that no gifts are proposed to be distributed at the meeting.

www.reportjunction.com

वित्तीय विशेषताएं

Financial Highlights

(करोड़ रुपये)
(Rs. crore)

	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003
(वर्ष के अंत में) **(As at year-end)**					
इक्विटी पूंजी Equity Capital	659.5	659.5	652.8	652.8	652.8
रिज़र्व Reserves	8033.7	8365.7	8473.8	6001.4	6292.2
निवल संपत्ति Net Worth	8693.2	9025.2	9126.6	6654.2	6945.0
कुल आस्तियां Total Assets	69,143.5	72,285.4	71,783.4	66,642.6	63,115.8
(वर्ष के लिए) **(For the year)**					
कुल आय Total Income	7464.4	7859.6	7834.8	7175.8	6371.0
कुल व्यय Total Expenses	6163.7	6832.6	7100.8	6760.9	5915.4
कर-पूर्व लाभ Profit Before Tax	1300.7	1027.0	734.0	414.9	455.6
आयकर के लिए प्रावधान Provision for Income Tax	75.0	80.0	43.0	10.0	92.4
कर-पश्चात् लाभ Profit After Tax	1258.9*	947.0	691.0	424.3#	401.4##
इक्विटी पूंजी पर लाभांश Dividend on Equity Capital	302.9	302.9	293.8	97.9	97.9
अधिमान पूंजी पर लाभांश Dividend on Preference Capital	–	–	25.3	–	–
वित्तीय अनुपात **Financial Ratios**					
औसत निवल संपत्ति पर कर-पश्चात् लाभ (%) Profit After Tax to Average Net Worth (%)	15.1	10.7	7.3	5.4	5.9
औसत आस्तियों पर कर-पश्चात् लाभ (%) Profit After Tax to Average Assets (%)	2.0	1.3	1.0	0.6	0.6
ऋण- इक्विटी अनुपात@ Debt-Equity Ratio @	6.5	6.8	6.7	8.7	7.9
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%) Capital Adequacy Ratio (%)					
टीयर-I Tier-I	12.7	12.3	12.2	12.9	14.1
कुल Total	12.7	14.5	15.8	17.9	18.7

* इसमें विगत वर्षों में 33.2 करोड़ रुपये तक की राशि के पुनरांकन किये गये आयकर का आधिक्य प्रावधान शामिल है.
\# इसमें 19.4 करोड़ रुपये की आस्थगित कर जमा राशि शामिल है.
\#\# इसमें 38.2 करोड़ रुपये की आस्थगित कर जमा राशि शामिल है.
@ इसमें बकाया आस्थगित भुगतान गारंटियां शामिल हैं.

* Includes excess Income Tax provision of earlier years written back to the extent of Rs.33.2 crore.
\# Includes deferred tax credit of Rs.19.4 crore.
\#\# Includes deferred tax credit of Rs.38.2 crore.
@ Including Outstanding Deferred Payment Guarantees.

www.reportjunction.com

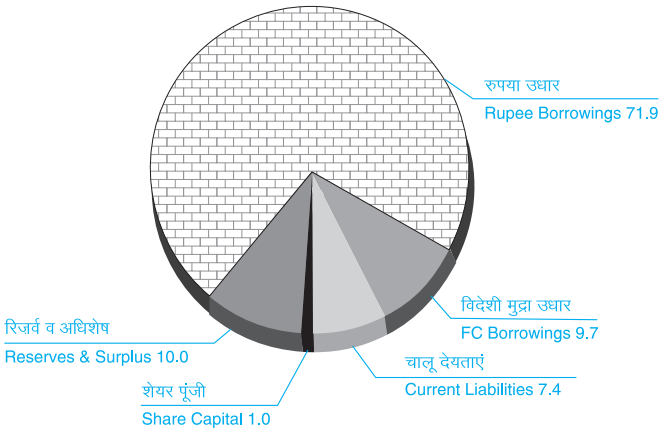

देयताओं की संरचना (%)
(यथा 31 मार्च 2003)

Composition of Liabilities (%)
(As on March 31, 2003)

आस्तियों की संरचना (%)
(यथा 31 मार्च 2003)

Composition of Asset (%)
(As on March 31, 2003)

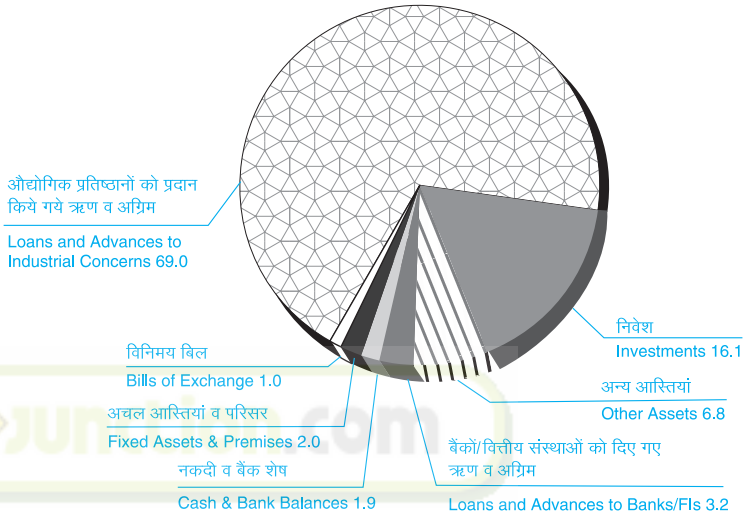

Report Junction.com

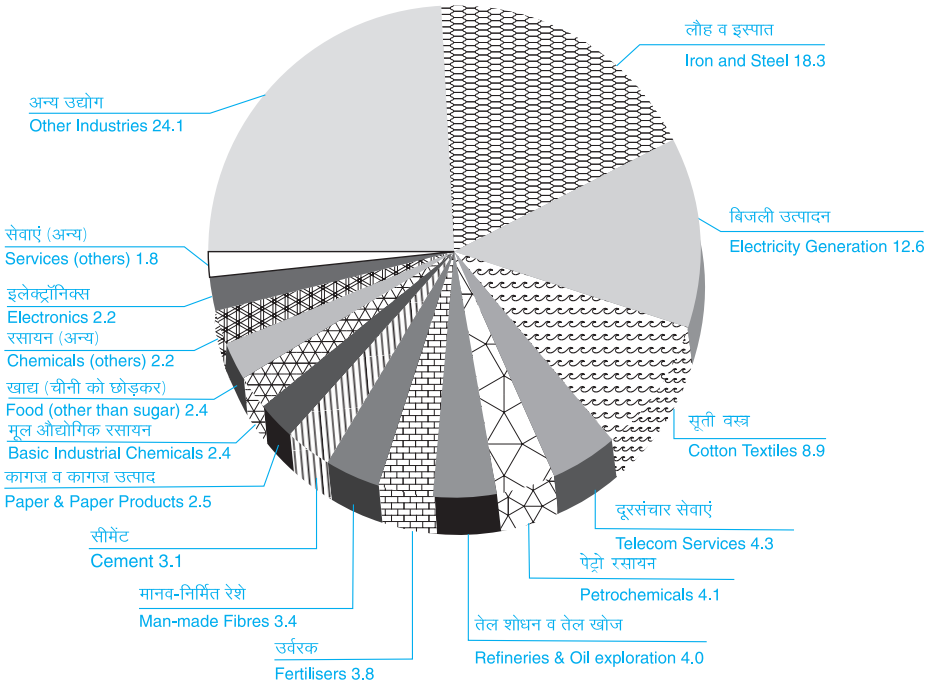

बकाया सहायता की उद्योग-वार संरचना (%)
(यथा 31 मार्च 2003)

Industry-wise Composition of Assistance Outstanding (%)
(As on March 31, 2003)

www.reportjunction.com

पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)
(यथा 31 मार्च)

Capital Adequacy Ratio (%)
(As on March 31)

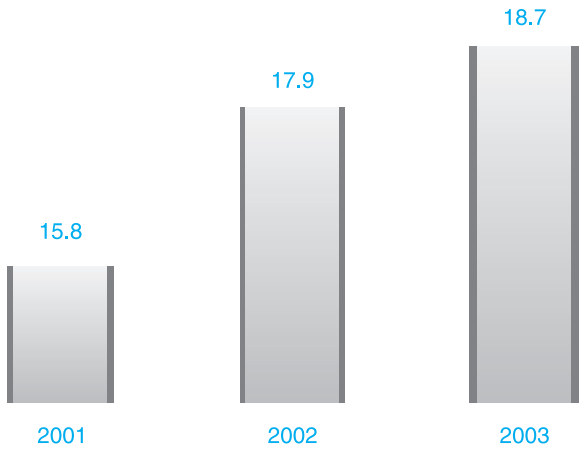

आस्ति वर्गीकरण (%)
(यथा 31 मार्च)

Assets Classification (%)
(As on March 31)

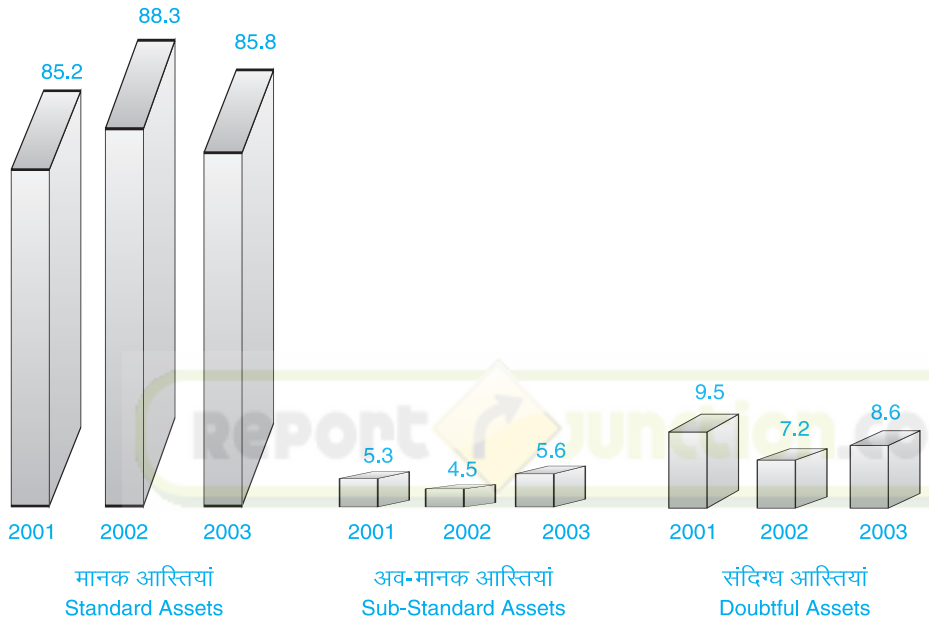

प्रति शेयर आय / बही मूल्य (रुपये)
(यथा 31 मार्च)

Earnings / Book Value per share (Rs.)
(As on March 31)

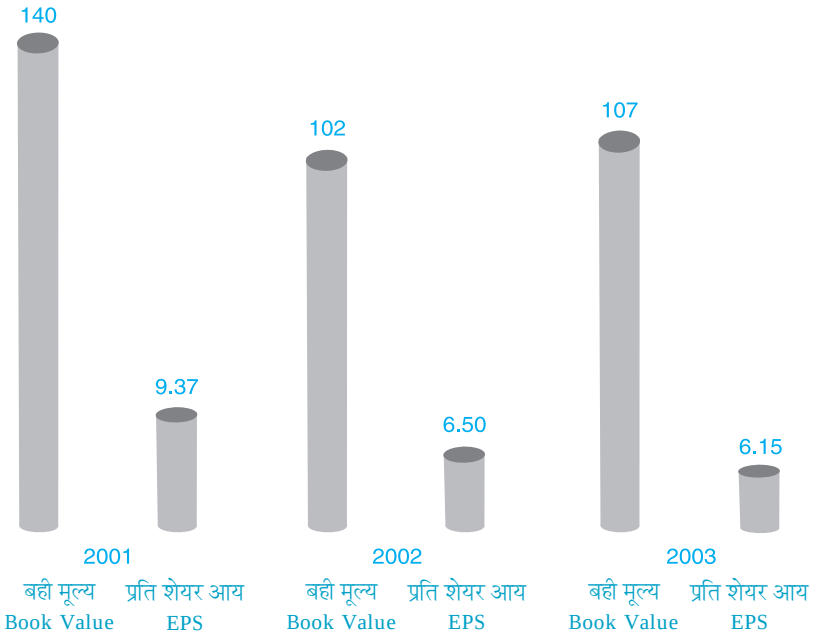

www.reportjunction.com